जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांकः 25.08.2017

आज दिनांक 25-08-2017 को 10:30 बजे टण्डन कक्ष मे माननीय प्रभारी कुलसचिव जी की अध्यक्षता में टाईम लिमिट की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये-

पद क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
1.	दिनांक 18/08/2017 संपन्न हुई टाईम लिमिट की बैठक के कार्य-विवरण की पुष्टि पर विचार **संलग्न-परिशिष्ट '1'**	दिनांक 18/08/2017 को संपन्न हुई बैठक के कार्य-विवरण की पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की गई।
2.	विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों पर विचार।	आज संपन्न हुई की बैठक के लिये किसी भी पदाधिकारी की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः उनसे पुनः आग्रह किया गया कि, वे आगामी बैठक हेतु लिखित प्रस्ताव बैठक से दो दिन पूर्व भेजे।
3.	म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 11/08/2017 को आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के पालन पर विचार अ) "प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरणों में गति लाये, सी0एम0 हेल्प लाईन के प्रकरणों का रिव्यू करें तथा बार-बार उत्तर न दोहराये"। एल-1 स्तर पर ही प्रकरणों का निराकरण किया जाये ताकि एल-2 एवं एल-3 स्तर पर प्रकरणों की संख्या अधिक न हो। ब) "विश्वविद्यालय समस्त परीक्षा परिणाम घोषित होने संबंधी प्रमाण-पत्र पुनः दे। ग्वालियर विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा परिणाम शेष नहीं होने के उपरान्त भी शासकीय महाविद्यालय, गुना का प्रकरण समाधान ऑनलाईन में प्रस्तुत हुआ जो कि गंभीर लापरवाही का द्योतक है" अतः विश्वविद्यालय शेष परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित करें।	परीक्षा नियंत्रक, उप-कुलसचिव (गोपनीय) एवं सहायक-कुलसचिव(परीक्षा) ने एकमत से यह जानकारी दी किः- अ) परीक्षा विभाग द्वारा सी0एम0 हेल्प लाईन एल-1 एवं एल-2 स्तर पर समुचित प्रत्युत्तर देते हुये समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया जा रहा है, इन पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। एल-3 एवं एल-4 स्तर पर शिकायतें महज छात्रों द्वारा असंतुष्टि व्यक्त करने के कारण पहुंच रही है। ब) उपरोक्त अधिकारियों ने यह भी बताया कि, दिसम्बर, 2016 तक की समस्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके है तथा दिनांक 25/08/2017 की स्थिति में किसी भी छात्र की दिसम्बर, 2016 तक परीक्षा का परिणाम लंबित नहीं है। इस संबंध में विचार कर यह निर्णय लिया गया कि, समस्त महाविद्यालयों को एक पत्र प्रेषित कर आगामी एक सप्ताह में जानकारी ली जावे कि, यदि उनके महाविद्यालय के किसी छात्र का परीक्षा परिणाम, परीक्षा आवेदन-पत्र, सी0सी0ई0/प्रैक्टिकल के अंकों के अभाव में विथहेल्ड तो नहीं है। यदि उनके महाविद्यालय से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगे।

4.	अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है तथा कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र म0प्र0 शासन की ओर प्रेषित करें।	अनुभाग अधिकारी, अनुसूचित जाति–जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा अवगत कराया गया कि, सत्र 2017–18 की समस्त छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर भेज दी गई है। छात्रवृत्ति वितरण संबंधी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है इस संबंध में निर्णय लिया गया कि, वे संबंधित अध्ययनशालाओं/महाविद्यालयों की ओर पत्र भेज कर यह सुनिश्चित कर ले समस्त छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित हो चुकी है।
5.	न्यायालयीन प्रकरणों में यथासमय जबावदावा दायर किया जावे पर विचार	प्रभारी विधि प्रकोष्ठ द्वारा अवगत कराया गया कि, समस्त लंबित प्रकरणों में जबावदावा प्रस्तुत होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
6.	माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।	अ) टाईम लिमिट की बैठक एक अत्यन्त गंभीर बैठक है। अतः समस्त पदाधिकारी, सेक्शन प्रभारी बैठक में अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित किया करें। ब) टाईम लिमिट की बैठक माननीय कुलपति एवं आदरणीय कुलसचिव जी की उपस्थिति में आयोजित होती है। अतः उक्त बैठक संपन्न कराने का दायित्व कुलपति/कुलसचिव इकाई सुनिश्चित करें। कुलपति/कुलसचिव इकाई कार्य–सूची एवं कार्य–विवरण तैयार करना भी सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद, प्रस्ताव पारित कर बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त पदाधिकारी/सदस्य टाईम लिमिट बैठक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारियों की ओर इस निर्देश के साथ कि, उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों पर शीघ्र ही क्रियान्वयन कर आगामी बैठक में सूचित किया जावे।
4. पत्रावली हेतु।

सांख्यिकीय अधिकरी